न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 428 सन 2018

अनवान :–

1. मांगीलाल पुत्र बलराम जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. बलराम पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
2. मनीष कुमार पुत्र बलराम जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
3. सुमन पुत्री बलराम जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 10.01.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 93/102 के खसरा न0 158 की 2.8720हैक खसरा न0 160 की 4.7560हैक कुल 7.6280हैक जिसमें सयुक्त तौर से बलराम का 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 183/134 के खसरा न0 170 की 5.8700हैक खसरा न0 171 की 5.8320हैक कुल 11.7020हैक जिसमें बलराम 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 72/66 के खसरा न0 37 की 0.4550हैक खसरा न0 56 की 2.4040हैक खसरा न0 108 की 3.1370हैक खसरा न0 126 की 4.0100हैक कुल 10.0060हैक भूमि में सयुक्त तौर 95–1/6 हिस्से का सयुक्त रूप से बलराम खातेदार काश्तकार है।

वादभूमि पूर्व में वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मनफुल के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्रों पर औद हुई है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 93/102 की कुल 7.6280हैक भूमि में सयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा , एवं रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 183/134 की कुल 11.7020हैक भूमि में से सयुक्त तौर 1/6 हिस्सा , एवं रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 72/66 की कुल 10.0060हैक में सयुक्त तौर से 95–1/6 हिस्सा भूमि प्राप्त हुई है विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 जो वादी की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि हे जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री किया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 जो वादी की बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 93/102 की कुल 7.6280हैक भूमि में सयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है , एवं रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 183/134 की कुल 11.7020हैक भूमि में से सयुक्त तौर 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है, में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री